

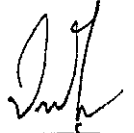
कार्यालय: गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

आवश्यक सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में 01 वर्ष के लिए राजस्व विभाग, उ0प्र0 से सेवानिवृत्त 01 लेखपाल जिनकी आयु 64 से कम हो, को मानदेय के आधार पर सेवायोजित किये जाने हेतु दिनांक- 28/08/2025 से 04/09/2025 सायं 5:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिक को शासनादेश सं0-19/2017-सा-3-22/दस-2017-930-83, दिनांक 13.07.2017 के अनुसार देय मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ देय नहीं होगा तथा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।

इस सम्बन्ध में इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक विस्तृत विवरण/आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप गोरखपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट-<https://www.gdagkp.in> से प्राप्त कर अपना आवेदन पत्र सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के समक्ष स्वयं अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।


पुष्परज सिंह,
सचिव।


आनन्द वर्द्धन
उपाध्यक्ष।

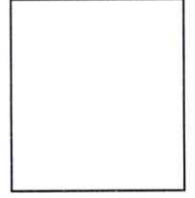
215

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

आवेदन हेतु फॉर्म

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।



मैं सार्वजनिक सूचना दिनांक..... में उल्लिखित
नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदन करता हूँ। मेरी सेवा का विवरण निम्नानुसार है:-

1. नाम.....
2. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम.....
3. सेवानिवृत्ति का विभाग.....
4. जन्मतिथि.....
5. योग्यता.....
6. सेवानिवृत्ति की तिथि.....
7. पत्राचार हेतु पता.....
8. मोबाइल/टेलीफोन नं०.....
9. ई-मेल आईडी.....
10. अंतिम वेतन आहरित वेतन पर्ची.....
11. कुल कार्य अनुभव.....
12. संलग्नक.....

(I) जन्म तिथि प्रमाण पत्र (II) अंतिम वेतन पर्ची (III) CMO/CMS द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र।

मैं इस बात की पुष्टि करता/करती हूँ कि इस फॉर्म में मैंने जो जानकारी भरी है, वह मेरी जानकारी के अनुसार सही है। यदि आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो मैं उसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ।

हस्ताक्षर।



प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2017

विषय:- दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों जो दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित थे/हैं, का वेतन निर्धारण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन राज्य सेवाओं से दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी / कर्मचारीगण जो उक्त तिथि को अथवा उसके उपरान्त सम्प्रति राज्य सरकार के अधीन पुनर्योजित थे / हैं, के वेतन एवं पेंशन का पुनरीक्षण अधोलिखित व्यवस्था के अनुसार अन्तरिम आधार पर किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :-

- (क)- ऐसे पुनर्योजित कार्मिकों द्वारा दिनांक 01-01-2016 को पूर्व प्राप्त अन्तिम वेतन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के क्रम में वेतन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2016 से यह प्रकल्पित करते हुए किया जायेगा कि मानो वे उक्त तिथि को सेवा में थे।
- (ख)- दिनांक 01-01-2016 से उनकी पेंशन का पुनरीक्षण राज्य सरकार के शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23-12-2016 के अनुसार किया जायेगा।
- (ग)- उप प्रस्तर-(क) के अनुसार पुनरीक्षित वेतन में से उप प्रस्तर-(ख) के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन घटाकर पुनर्योजन पर वेतन निर्धारित किया

--2--

जायेगा जो दिनांक 01-01-2016 अथवा पुनर्योजन की तिथि, जो बाद में हो से देय होगा परन्तु इस प्रकार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग पुनर्योजित अधिकारी के पुनरीक्षित अन्तिम मूल वेतन अथवा पुनर्योजन पद के पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम वेतन दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगा।

2- केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश निर्गत किये जाने की प्रत्याशा में उपर्युक्त व्यवस्था अन्तरिम रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ लागू की जा रही है कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में कोई अन्यथा आदेश निर्गत किये जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों का वेतन तदुसार पुनर्निर्धारित किया जायेगा और यदि यह पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी को अनुमन्य वेतन से अधिक भुगतान हो गया है तो अधिक भुगतानित राशि की वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन/पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन पर अनुमन्य अन्तरिम राहत से समायोजन द्वारा कर ली जायेगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अपनी लिखित सहमति देनी होगी।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या-19/2017-सा-3-22(1)/दस-2017-930/83, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, नियुक्ति विभाग/वन विभाग/गृह विभाग/गोपन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम / द्वितीय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।